



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Konkan Railway Corporation Limited



(भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking)

केआर/सीओ/एस/बांड/एनएसई

दिनांक: 27/04/2023

सेवा में,

प्रबंधक (अनुपालन अनुभाग)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: एक्सचेंज प्लाजा,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051

विषय: सेबी के परिचालन परिपत्र सं. सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2021/613 दिनांक 10 अगस्त 2021

संदर्भ: आईएसआईएन-आईएनई 139 एफ 07048, आईएनई 139 एफ 07055, आईएनई 139 एफ 07063, आईएनई 139 एफ 07089, आईएनई 139 एफ 07097, आईएनई 139 एफ 07105, आईएनई 139 एफ 07113

प्रिय महोदय/महोदया,

ऊपर उद्धृत विषय के संदर्भ में, कृपया 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित निर्धारित प्रारूप में, एक बड़े कॉर्पोरेट के रूप में प्रारंभिक प्रकटीकरण को इसके साथ संलग्न करें। अनुरोध है कि इसे अपने रिकॉर्ड में ले लें।

कृपया इसे रिकॉर्ड में लेने की कृपा करें

धन्यवाद,

भवदीय
कृते कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर

(राजेंद्र सी परब)
कंपनी सचिव

सेबी के परिचालन परिपत्र सं. सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2021/613 दिनांक 10 अगस्त, 2021 के अध्याय XII का अनुबंध 'ए'

एक बड़े कॉर्पोरेट के रूप में पहचानी गई इकाई द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक प्रकटीकरण का प्रारूप (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 30 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में जमा किया जाना है)

क्रमांक	विशिष्ट	विवरण
1	कंपनी का नाम	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	सी आई एन	यू35201 एमएच 1990 जीओआई 223738
3	31 मार्च, 2023 को कंपनी की बकाया उधारी (करोड़ रुपये में)	3064.93
4	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ पिछले वित्त वर्ष के दौरान उच्चतम क्रेडिट रेटिंग	केयर-एएए (सीई)/स्थिर
5	स्टॉक एक्सचेंज का नाम * जिसमें फ्रेमवर्क के तहत आवश्यक उधारी में कमी के मामले में जुर्माना अदा किया जाएगा	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

हम पुष्टि करते हैं कि हम 10 अगस्त, 2021 के सेबी परिचालन परिपत्र के अध्याय XII के तहत दिए गए प्रयोज्यता मानदंड के अनुसार एक बड़े कॉर्पोरेट हैं।

हस्ताक्षर
(राजेन्द्र सी. परब)
कंपनी सचिव
022-27579948

हस्ताक्षर
(आर.एम. भदांग)
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
022-27570353

दिनांक – 27/04/2023

*वित्त वर्ष 2022 से शुरू होने वाले सर्कुलर के 2.2(डी) के पैराग्राफ के अनुसार, ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में कमी की स्थिति में, दो के अंत में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा 0.2% कमी का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए, एलसी के रूप में पहचान की गई इकाई वित्तीय वर्ष के लिए अपने प्रारंभिक प्रकटीकरण में, स्टॉक एक्सचेंज का नाम प्रदान करेगी, जिसे ऋण बाजारों के माध्यम से अनिवार्य उधारी में कमी के मामले में जुर्माना देना होगा।